राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक:प.13(1)प्र0सु0 / सम0 / अनु–1 / 2008 जयपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

परिपत्र

भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक DO No.D-13014/02/2007-PG दिनांक 21.7.08 द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में सभी विभागों को नागरिक अधिकार पत्रों का मूल्यांकन कर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र जारी करने हेतु समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.8.2008 एवं 23.10.09 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर, एक माह में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। कुछेक विभागों में इस पर कार्यवाही हुई है तथापि अभी भी काफी विभागों में यह कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन विभागों में अब तक यह कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है , उनमें अब दिनांक 30.12.2009 तक अवश्यमेव कार्यवाही पूर्ण कर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र जारी कर दिया जावे।

2. जिन विभागों का आम जनता से सीधा सम्पर्क होता है, उन विभागों में 30 नवम्बर, 2009 तक ऐसे स्थान पर जहां सबका ध्यान आकर्षित हो, विभाग का सूचना पट्ट (painted) जिसमें विभाग की महत्वपूर्ण सूचनाएं / कार्यो का विवरण अंकित हो, राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग / कार्यालय का नाम **आवश्यक** रूप से अंकित हो।

3. सभी निर्माण विभागों की निर्माण साइट पर, चल रहें **निर्माण कार्य, निर्माण कार्यो की अवधि आदि** सूचना अभी पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं हुई है। अतः उक्त सभी सूचनाऐं निर्माण विभाग की साइट पर एवं कार्यस्थल पर सूचना पट्टों को लगाई जाय।

4. 1 दिसम्बर, 2009 के पश्चात् माननीय मंत्रीगण /जिला प्रभारी सचिव द्वारा जिलों में निरीक्षण के दौरान इन सूचना पट्टों एवं उन पर प्रकाशित सूचनाओं का भी निरीक्षण किया जायेगा । निरीक्षण के दौरान जहां सूचना पट्ट नहीं पाये जायेगे, इसे **राज्यादेशों की अवहेलना मानते हुये** सम्बन्धित अधिकारीगण के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5. गृह विभाग द्वारा राज्य में मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं जिलो में उप मुख्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति पर कार्यवाही की जा रही है । अतः दिनांक **30.11.2009 तक** सभी जिलों में उप मुख्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति कर, सूचना गृह विभाग को भेजी जावे।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, किन्तु शासन के ध्यान में आया है कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। अतः समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि समस्त लोक सूचना अधिकारियों के पास सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी पुस्तिका उपलब्ध रहे और सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधित कार्यो का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जाये।

अतः सभी विभागाध्यक्षों/ अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना / क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अशोक सिंघवी) 18/NOV/09
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
2. उप सचिव,मुख्य सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिवगण।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/ निगम/ मण्डल/ बोर्ड एवं सवायत्ताशासी संस्थाऐं।

शासन उप सचिव